Sai, Shri Larang
Sarangi, Shri R. P.
Shah, Shri Surath Bahadur
Ugrasen, Shri
Varma, Shri Ravindra
Verma, Shri R. L. P.
Yadav, Shri Hukmdeo Narain

AN HON. MEMBER: The total is less than quorum.

MR. CHAIRMAN: There is quorum. But votes have not been recorded.

SHRI BIJU PATNAIK: You said there is no quorum.

MR. CHAIRMAN: I think, you, Mr. Minister; did not hear what I said. I said, there is quorum, but many votes have not been recorded. Something is wrong with the machine. They are being added. So, when the final tally comes, you will find that there is quorum. The final result of the division is:

Ayes: 25. *Noes*: 34.

The *noes* have it. So it is rejected.

The motion was negatived.

17.55 hrs.

RESOLUTION *RE.* ABOLITION OF LEGISLATIVE COUNCILS

MR. CHAIRMAN: Now, we take up the next Resolution that of Shri Ramji Lal Suman.

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित संकल्प पश करता हूं :

"इस सभा की राय है कि राज्यों में ऊपरी सदनों (विधान परिषदों) ने कोई सार्थक भूमिका अदा नहीं की है तथा कानून बनाने की प्रक्रिया में ये भारस्वरूप तथा अनावश्यक खर्चीले साबित हो रहे हैं तथा इसलिए, इनको शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने के लिए संविधान में उपयुक्त संशोधन किया जाये।"

सभापति महोदय, 1931 में गोल मेज कानफरेंस में ही गांधी जी ने हिन्दुस्तान में जिस सरकार की कल्पना की थी वह एक सदनीय सरकार थी। राष्ट्र के पैमाने पर भी वह एक सदन की कल्पना करते थे। जहां तक द्वितीय सदन का विचार है वह एक ब्रिटिश विचार है, पाश्चात्य विचार है तथा देश के पुराण, साहित्य में कहीं भी इस तरह की कोई बात देखने को नहीं मिलती है। संविधान सभा में भी श्री के टी शाह और माननीय श्री कामत ने इसका विरोध किया था। जब इन दोनों सज्जनों ने इसका विरोध किया तो उस समय डा० अम्बेदकर ने कहा था :

"It will be only an experiemental measure that Legislative Councils are to be introduced in the States."

उन्होंने कहा यह एक एक्सपेरिमेंट है और हिन्दुस्तान के हालात को देखते हुए अगर विधान परिषदों की सार्थक भूमिका होगी उसका, इन्होंने निर्वाह किया तब तो इनको जिन्दा रखा जाएगा अन्यथा इनको समाप्त करने के लिए भी प्रयास किया जा सकता है क्रान्तिकारी रोल जो इनका है अगर इन्होंने उसको अदा किया तब तो इनको जिन्दा रखा जाएगा अन्यथा इनको समाप्त करने का प्रयास भी किया जा सकता है। 26 जनवरी, 1950 को जब संविधान बना तो उसके आर्टिकल 168 में छः विधान परिषदों की व्यवस्था की गई, बिहार, बम्बई, मद्रास, पंजाब, उत्तर प्रदेश और वैस्ट बंगाल। इसके बाद कुछ प्रान्तों में विधान परिषदों को खत्म कर दिया गया और कुछ में इनकी स्थापना कर दी गई। कर्नाटक में 14 जनवरी 1969 को विधान परिषद् बना दी गई, बम्बई राज्य जब दो भागों में विभक्त हो गया तो महाराष्ट्र में विधान परिषद् बनी और वैस्ट बंगाल

[श्री रामजी लाल सुमन]

और पंजाब में विधान परिषदों का खात्मा कर दिया गया। भारत में 22 सूबे हैं लेकिन मात्र सात सूबों में ही विधान परिषदें काम कर रही हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, तामिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और जम्मू काश्मीर। आंध्र में परिषद् के सदस्यों की संख्या 90 है, बिहार में 96, तमिलनाड् में 63, महाराष्ट्र में 78, कर्नाटक में 63, उत्तर प्रदेश में 108 और जम्मू कश्मीर में 38। राष्ट्रीय भावना के विपरीत हिन्दुस्तान के 22 सूबों में मात्र सात सूबों में ही विधान परिषदें काम कर रही हैं। यह भी एक भेदभाव वाली बात है। सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार हमारे देश में प्राप्त नहीं होगा, सब लोगों को वोट देने का बराबर का अधिकार होगा लेकिन विधान परिषदों के लिए जिन सदस्यों का चयन होता है उनके चुनाव के वास्ते जिन पांच वर्गों के लोगों को अधिकार प्राप्त है और जो वोट करते हैं वे हैं लैजिस्लेटिव असेम्बली के लोग, लोकल आथोरिटी के लोग, इलैक्शन वाई ग्रेजुएट्स, इलैक्शन वाई टीचर्ज और नामिनेटिड। इन लोगों को यह दोहरा अधिकार मिला हुआ है। इस तरह से जिस प्रकार अमरीका में दोहरी नागरिकता हैं उसी प्रकार से हम ने भी यहां पर दोहरी नागरिकता को स्वीकार कर रखा है। हम देश में समतावादी समाज, समानता के सिद्धान्त को लागू करना चाहते हैं, एकरूपता देश में लाना चाहते हैं लेकिन यह चीज बिल्कुल उसके विपरीत है। किसी व्यक्ति को हमारे देश में दुबारा वोट करने का अधिकार नहीं है लेकिन इन पांच श्रेणियों के लोगों को दुबारा वोट करने का अधिकार मिला हुआ है। इन्हीं की हैसियत के तमाम लोग हैं जो विभिन्न विधान परिषदों के लिए सदस्यों के चुनाव के समय वोट करते हैं। दूसरे सूबों में बसने वाले इसी श्रेणी के लोगों तक को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। यह औचित्य का प्रश्न है, सिद्धान्त का प्रश्न है। इसको एक चोर दरवाजा भी कहा जा सकता है जिस के जरिए देश के फ्रस्ट्रेटिड पौलिटिशियंज, हारे हुए लोगों को खपाया जाता है जिन को और कहीं खपाया नहीं जा सकता उनको यहां स्थान मिल जाता है। किंचित मात्र भी जिस उद्देश्य से इनको बनाया गया था उसको ये पूरा नहीं कर रही हैं?

18 hrs.

पहली बात तो सिद्धान्त और औचित्य की है। विधान परिषदों में जो डिबेट्स होती हैं उन में उसी का रैपीटीशन होता है जो विधान सभा में बातें कही जाती हैं। कोई नई बात सदस्य कहते हों ऐसी बात नहीं है। उग्रसेन जी जानते हैं। वह बहुत लम्बे समय तक विधान सभा में रहे हैं। वहां वह नेता भी रहे हैं। विधान परिषदों में वही काम चलता है जो विधान सभा में चलता है। विधान परिषदें उन्हीं बातों की पुष्टि करती है जिन की पुष्टि विधान सभाएं कर चुकी होती हैं। पुष्टि करना है विधान परिषदों का एक सूत्री कार्यक्रम है। उनकी जो सार्थक भूमिका होनी चाहिए उसको वे अदा नहीं करती हैं।

यह कहा जाता है कि बुद्धिजीवी, साहित्यकार, बड़े समझदार लोग उनमें आने चाहिए। क्या साहित्यकार तथा बड़े समझदार, बड़े प्रबुद्ध लोग आते हैं? मैं नहीं समझता हूं कि आते हैं। इस वास्ते जिस मंशा से इनका निर्माण किया गया था उस मंशा की विधान परिषदें किंचितमात्र भी पूरा नहीं करतीं हैं।

वोट के अधिकार के बारे में मैं कहता हूं यह अधिकार सब लोगों को बराबर का होना चाहिए लेकिन इन पांच श्रेणियों के लोगों की अलग हैसियत हैं।

जहां तक लोगों को आए जाने का सवाल है वही लोग इन में आते हैं जो हारे हुए होते हैं, जो किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी के या सरकार के कृपा पात्र होते हैं। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है जिस के आधार पर मैं कह सकता हूं—खास कर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के बारे में —कि जो लोग इन में आते हैं वे न तो साहित्यकार होते हैं, न किसी विषय के पंडित होते हैं, न कला के जानकार होते हैं और न ही विद्या विशेष या कला के क्षेत्रों से उनकी कोई विशेष दिलचस्पी होती है। नेता लोगों के कृपा पात्र ही उन में आ पाते हैं। मेरा कहना यह है कि विधान-परिषद् जिसके लिए बनाई जाती हैं, वह लोग किंचित मात्र भी उसमें नहीं आते। अगर मैं यह कहूं कि जो लोगों के नियुक्त किये जाने की परम्परा रही है, या कोई बड़े साहब हैं, अगर आप इस देश में राज्य-सभा और विधान-परिषदों में आने वाले लोगों को देखें तो उनकी बजाये उसमें हम उन लोगों को पायेंगे जिनके पास बड़ी दौलत है या हिन्दुस्तान में जो पूंजीपतियों का पोषण करते हैं। एडवोकेसी करते हैं। जिनके पास 2 से 4 लाख रुपये तक हैं, उनको विधान-परिषद् में आने में कोई तकलीफ नहीं है।

जहां तक इसके कार्य का प्रश्न है, धन विधेयक जब पास होता है तो उसमें उसे कोई तबदीली करने का अधिकार नहीं है। अन्ततोगत्वा विधान-सभा का जो फैसला होता है, उस फैसले पर मोहर लगाना ही विधान-परिषद् का काम होता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकतंत्र में जो भी फैसले होते हैं वह पार्टी में होते हैं और पार्टी के फैसलों की पुष्टि यहां सदस्यों को करनी होती है। सभी सदस्य मात्र उस पार्टी के निर्णय के इर्द-गिर्द अपनी बात कहते हैं। विधान-सभा, लोक-सभा में सदस्य अपनी पार्टी की नीति के हिसाब से बोलते हैं। तो फिर मैं नहीं समझपाता कि विधान-परिषद् का कोई औचित्य भी है। इस देश में इस प्रकार से खर्च करने की परम्परा बनी हुई है, कुछ लोगों को एडजस्ट करने का सिलसिला इस देश में बना हुआ है। इस प्रकार से कुछ भ्रष्ट राजनीतिज्ञों को एडजस्ट करने का एक सिलसिला बना हुआ है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं।

आन्ध्र प्रदेश में परिषद की स्ट्रैथ 1971–72 में चेयरमन और डिप्टी चेयरमन को मिला कर 82 है और 1972–73 में यह संख्या 87 है। 1972–73 का खर्चा मात्र तनख्वाह का 3 लाख 37 हजार 800 रुपये हैं। इस प्रकार जो अन्य सुविधाएं मिलती है जैसे मेडिकल फैसिलिटी, किराया भाड़ा और इसी प्रकार की और सुविधाएं हैं, उन का खर्च अलग है।

जहां तक बिहार विधान-परिषद् का सवाल हैं वहां 1975–76 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते का खर्च 36,848 रुपये हैं और 76–77 में 58 हजार और 77–78 में 58 हजार। यह मात्र अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते हैं। इसी प्रकार सदस्यों के ऊपर 23 लाख 62 हजार 700 रुपये खर्च हुआ है, 1976–77 में और 1977–78 में 23 लाख 67 हजार 200 रुपये खर्च हुआ है।

जम्मू-काश्मीर में 73–74 में 3 लाख 46 हजार 804 रुपये, 1974–75 में 3 लाख 89 हजार 400 रु० और 1975–76

[श्री रामजी लाल सुमन]

में 4 लाख 40 हजार 900 रुपये खर्च हुए हैं।

कर्नाटक में 1976–77 में लगभग 10 लाख रुपये खर्च हुए हैं।

महाराष्ट्र में 1975–76 में 15 लाख 97 हजार और 1976–77 में 17 लाख 43 हजार रुपये खर्च हुए हैं।

तमिलनाडु में 77–78 में लगभग 18 लाख रुपये खर्च हुए हैं।

उत्तर प्रदेश में 76–77 में 29 लाख 56 हजार 100 रुपये खर्च हुए हैं।

यह जो करोड़ों रुपये की बर्बादी इस देश में होती है, जो क्रम चल रहा है, हिन्दुस्तान में आज जरूरत इस बात की है कि लोगों के खर्च करने की सीमा बंधे। इस देश में जो अनाप शनाप खर्चे होते हैं वह रुकें। हिन्दुस्तान में जो आम जनता की शिकायत है उसको दूर करें और कोई सुनियोजित कार्यक्रम इस देश को दें।

लेकिन, इस देश के 7 सूबों में जो परिषदें काम कर रही हैं, उनके नाम पर करोड़ों रुपया इस देश में खर्च किया जा रहा है। अगर इस देश को विकसित करना है, बेरोजगारों को काम देना है तो हमें इस पर ध्यान देना होगा। ग्रामीण अंचलों की स्थापना के बाद तमाम नौजवानों की शिकायत सरकार से यह है कि इस सरकार ने एक सुनियोजित और क्रमबद्ध कार्यक्रम देने की बात कही थी।

स्वर्गीय डा० लोहिया ने इस सदन में कहा था कि इस देश में खर्च की सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए। अगर डेढ़ हजार रुपये प्रति-मास से अधिक खर्च पर रोक लगाई जाये, तो सरकार को एक हजार करोड़ रुपये से डेढ़ हजार करोड़ रुपये तक का फ़ायदा होगा। वह रुपया देश के विकास पर खर्च किया जा सकता है। हमारे देश में सदस्यों के रिटायर होने पर उन्हें पेन्शन देने की पद्धति भी शुरू हो गई है।

आज हमें देखना पड़ेगा कि क्या विधान परिषदों से देश को कोई लाभ हुआ है। सभाओं द्वारा पास किये गये कानूनों की पुष्टि करना और उस के साथ अपने आप को जोड़ना ही उन का धर्म रह गया है। हमारे देश में जो राजनितिक दल और संगठन बन गये हैं, उन के कृपापात्रों को ही विधान परिषदें में स्थान मिलता रहा है। उन में सम्बद्ध राज्यों के बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, कलाकारों और चित्रकारों को कोई स्थान नहीं मिल पाया है। इन विधान परिषदों के कारण देश में करोड़ों रुपयों का घोटाला और अनाप-शनाप खर्च हो रहा हैं।

मैंने यह प्रस्ताव इस लिए रखा है कि यह माननीय सदन यह एहसास करे कि हिन्दुस्तान की ग़रीबी और भुखमरी की देखते हुए इस घोटाले और अपव्यय का अन्त करने के लिए तमाम राज्यों की विधान परिषदों को खत्म कर देना चाहिए। मैं समझता हूं कि सब माननीय सदस्य मेरी इस राय से सहमत होंगे। मैं कानून मंत्री से यह दरख़्वास्त करूंगा कि यह कदम उठाने से देश को करोड़ों रुपयों का फायदा हो सकता है, जिससे हिन्दुस्तान की बेरोजगारी को मिटाने और देश के विकास-कार्यों को आगे बढ़ाने में सहायता मिल सकती है, इसलिए वह मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर के इस फ़र्जी काम से छुटकारा पायें।

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"This House is of the opinion that the Upper Houses (Legislative Councils) in the States have not served any useful purpose and in the process of legislation they are prov-

ing to be cumbersome and avoidable expensive and, therefore, the Constitution should be suitably amended to abolish them as soon as possible."

Mr. Patwary, will you please resume your seat? People cannot just get up and speak. I have got a list of speakers and I would be calling out as per that. I would like to remind the Members that time allotted for this resolution is only two hours. There is a large number of speakers here. I would request you to confine yourself to five minutes. When I say five minutes, I mean five minutes.

श्री एच० एल० पटवारी (मंगलदाई): सभापति महोदय, में अपने मित्र, श्री सुमन, के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

देश के सब राज्यों में अपर हाउस नहीं हैं। इसलिए इस बारे में भी सारे देश में कोई एकरूपता नहीं है। जहां तक अध्यापकों का सम्बन्ध है, जिस हाई स्कूल में प्राइमरी स्कूल है, उस के अध्यापकों को वोट देने का अधिकार है, लेकिन अगर सिर्फ़ प्राइमरी स्कूल है, तो उन को वोट देने का अधिकार नहीं है। प्राइमरी अध्यापक संघ का एक डेपुटेशन श्रीमती इन्दिरा गांधी से मिला था और उस ने मांग की थी कि प्राइमरी अध्यापकों को भी वोट देने का अधिकार दिया जाये। इस का मतलब यह है कि अगर प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को वोट का अधिकार दिया जायेगा, तो सारे प्राइमरी अध्यापक अपर हाउस में आ जायेंगे।

माननीय सदस्य का कहना यह है कि इन अपर हाउसिज़ की कोई सार्थकता नहीं है। मैं कानून मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वह एक कमेटी बिठा दें, जो यह जांच करे कि अपर हाउसिज़ में जितने लोग निर्वाचित हुए हैं, उन की क्वालिटी क्या है। वहां कैसे लोग आते हैं। जो लोग वहां आते हैं, पता नहीं उनका उद्देश्य क्या होता है। समय कम है इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमारा देश गणतंत्र है। लोहिया जी का विचार फोर पिलर स्टेट का था। उस फोर पिलर में एक यह पिलर नहीं आता है। चौखम्भा राज्य में यह एक पिलर नहीं आता है। वह तो फालतू पिलर है, एक्स्ट्रा पिलर है बल्कि वह पिलर भी नहीं है। अगर पिलर होता तो सब राज्यों में होता, आसाम में भी होता, दूसरी स्टेटस में भी होता। पंजाब में भी नहीं है, बहुत सी जगह नहीं है। .... (व्यवधान)... इसका मतलब यह पिलर नहीं किलर है।

इसलिए मेरा कहना यह है कि फोर पिलर स्टेट तो गांव गांव में उस को मजबूत कीजिए, डिस्ट्रिक्ट को मजबूत कीजिए, स्टेट को मजबूत कीजिए तब केन्द्र गवर्नमैंट मजबूत होगा।

संविधान में संशोधन कर के इस को उठा कर उस के अन्दर ऐसा फिट कर दीजिए जिस के लिए लोक नायक जयप्रकाश जी ने भी कहा था कि गांव पंचायत को क्या अधिकार हो, जिला पंचायत को क्या अधिकार हो, कैसे उसकी व्यवस्था हो इस को कांस्टीटयूशन में जाना चाहिए ताकि सारे देश के गांवों के लोगों की इच्छा आकांक्षा पूरी हो सके और हम एक श्रमजीवी समाज के आदर्श को देश में स्थापित कर सकें।

हमारी सरकार को और इस लोकसभा को यह चिन्ता करनी है कि देश के सारे लोगों को हम कैसे गणतंत्र में एकत्रित कर सकें। लेकिन गणतंत्र के नाम पर षड़यंत्र चलेगा तो ठीक नहीं है। मैं कहता हूं कि जैसे जब एक नायक अत्याचार करता है, अत्याचारी बनता है तो गणतंत्र आता है और जब गणतंत्र के नाम पर अत्याचार होता है तो एक नायक तंत्र का आना स्वाभाविक है, अमावस्या के बाद पूर्णिमा

[श्री एच० एल० पटवारी]

आती है और पूर्णिमा के बाद अमावस्या आती है तो हम को सावधान रहना चाहिए कि कहीं हमारी गलती से देश के लिए खतरा न पैदा हो जाये।

हमारे कांस्टीटयूशन में मातृभाषा का स्थान है। हमारे यहां 1652 मातृ-भाषाएं हैं। हर-एक का अपना अपना स्थान है गांवों म। उन लोगों का कोई पोलिटिकल प्लेटफार्म नहीं है। स्टेट के पास वे जा नहीं सकते। इसलिए अगर गांव-गवर्नमैंट की स्थापना कर दी गई जो गांधी जी का सपना था, जो डाक्टर लोहिया का पक्का इरादा था और जिस के लिए लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी ने भी रेकमैंड किया है कि गांव गवर्नमैंट हो, तो सब काम ठीक तरह से चल सकता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा है कि गांव गवर्नमैंट का हमें कांस्टी-टयूशन में प्रावधान करना चाहिए। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इस को एबालिश होना चाहिए और गवर्नमैंट एक बिल लाए जिस में यह लिख दे कि गांवों में, डिस्ट्रिक्ट में उन का काम क्या होगा। नाइन्थ शेडयूल में एक शेडयूल और बढ़ा कर उस को विधिवत उस में रख दे ताकि हम अपने देश में श्रमजीवी समाज बना सकें और मैन पावर को यूटिलाइज कर सकें।

PROF. DILIP CHAKRAVARTY (Calcutta South): I can recall the debate in the Constituent Assembly, which I read as a teacher of Political Science. Mr. H. V. Kamath is here. I am drawing his attention. I believe it was he who initiated a move in the Constituent Assembly itself, not to have second chambers—both here, as also in the States.

Madam Chairman, the second chambers are working in many of our States. We have never made any review of them. If the Law Minister cannot agree to this motion being adopted by this House just now.....

MR. CHAIRMAN: Why do you presume that he will not?

PROF. DILIP CHAKRAVARTY: I presume that he will support it, as I am supporting it.

There should not be, there cannot be any whip in the case of a Private Member's resolution. In case he supports it, well and good. If not, at least let him make a review of what they have done, whether they have really made any contribution to Indian polity.

I have no doubt in my mind that these second chambers in the different States have made absolutely no contribution, except for duplicating what is done in the lower House.

Unfortunately, we have imbibed the copy book spirit, and the same copy book spirit we find reflected in our Constitution. It is time that we changed according to the needs of the situation.

Legislative Councils mostly are used as a refuge for the politically rejected people. This had happened in West Bengal. In 1969 the West Bengal Legislature recommended the abolition of the Upper House, and it was abolished. We expect that some of the other State Legislatures also will follow suit.

श्री उग्रसेन देवरिया : उत्तर प्रदेश में भी हमने ऐसा प्रस्ताव पास किया था।

PROF. DILIP CHAKRAVARTY: But some initiative is also necessary from the Central Government, from this Parliament, so that this anathema of duplication is no longer there. It is only a sort of pinjrapole for many. This process has rightly been described by my hon. friend Shri Suman as cumbersome and expensive which is avoidable. It is time we make a re-assessment and we should all agree that a

poor country like ours cannot afford have the luxury of having second chambers in all the States.

John Sturt Mill's ideas are still relevant with regard to the functioning of parliamentary democracy. He mentioned not only Gt. Britain, but of course the British example was before him. He said that second chambers were either superfluous or pernicious, superfluous because in most cases it is found that whatever is passed and approved by the lower House is dittoed by the upper House. Sometimes it so happens that the lower House, which consists of representatives directly elected, by the people, passes certain things, and the upper House rejects it. In that case, according to Mill, the existence of the second chamber should be considered as pernicious.

With these words I support the resolution and commend the same for acceptance by the Law Minister who is present here.

श्री राम सेवक हजारी (रोसड़ा): सभापति महोदया, र.मजीं लाल सुमन जीं ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

MR. CHAIRMAN: I think you will require some more time. You can continue the next day.

18.25 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, April 29, 1978/Vaisakha 9, 1900 (Saka).

GMGIPND—Job III—805 LS—1-7-78 880